रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 209] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 1971/अग्रहायण 8, 1893

No. 209] NEW DELHI MONDAY, NOVEMBER 29, 1971/AGRAHAYANA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

## LOK SABHA SECRETARIAT

### NOTIFICATION

*New Delhi, the 29th November 1971*

**G.S.R. 1785.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States, and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of the said section, namely:—

1. These rules may be called the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Amendment Rules, 1971.

2. In the Members of Parliament (Travelling and Daily Allowances) Rules, 1957 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 17A, the following rule shall be inserted, namely:—

"17B. Whenever a person accompanies the Member, when he travels by rail, by using the railway pass provided under section 6A, a railway journey form as set out in Form B II shall be filled in by the Member before the commencement of the journey. The form so filled shall be handed over to the railway ticket collecting staff on the termination of the journey at the detraining station. For this purpose a booklet

containing twentyfive machine numbered copies of Form B II shall be supplied to each Member."

3. In Form B appended to the said rules, for the words and figures "and have commenced my journey on....19 , accompanied/unaccompanied by one person in third class." in the two places they occur, the words and figures "and have commenced my journey on.....19 ." shall be substituted.

4. After Form B I, appended to the said rules, the following form shall be inserted, namely:—

"FORM B II"

[*see* rule 17B]

No.

LOK SABHA SECRETARIAT.
RAJYA SABHA SECRETARIAT.

RAILWAY JOURNEY FORM FOR THE USE OF ONE PERSON TO ACCOMPANY THE MEMBER OF PARLIAMENT.

(BOOK FOIL)

Certified that Shri/Shrimati.....

.....who is

accompanying me has travelled from...

..... to .....

(station) (station)

in III Class, *via*.....

commencing the journey on.....19 .

My Identity Card-*cum*-Railway Pass

No. is.....

Division No.....Member, Lok Sabha.
Rajya Sabha.

(To be retained by Member and returned to Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat after use).

No.

LOK SABHA SECRETARIAT.
RAJYA SABHA SECRETARIAT.

RAILWAY JOURNEY FORM FOR THE USE OF ONE PERSON TO ACCOMPANY THE MEMBER OF PARLIAMENT.

FOIL (To be delivered to the Railway at the termination of the journey).

Certified that Shri/Shrimati.....

.....who is

accompanying me has travelled from..

..... to .....

(station) (station)

in III Class, *via*.....

commencing the journey on.....19 .

My Identity Card-*cum*-Railway Pass

No. is.....

Division No.....Member, Lok Sabha.
Rajya Sabha.

(To be handed over to the Railway ticket collecting staff on the termination of the journey).

[No. F. 3/1/MSA/71.]

S. L. SAKDHER, Secy.

## लोक सभा सचिवालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1971

सा० का० नि० 1785.—संसद् सदस्यों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस धारा की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त-समिति, केन्द्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात्, संसद् सदस्य

(यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार, राज्य सभा के अध्यक्ष, और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित और पुष्ट कर दिए गए हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम संसद् सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) संशोधन नियम, 1971 होगा ।

2. संसद् सदस्य (यात्रा और दैनिक भत्ते) नियम, 1957 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 17 क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"17ख. जब कभी कोई व्यक्ति सदस्य के साथ उस समय यात्रा करता है, जब वह धारा 6क के अधीन दिए गए रेल-पास का उपयोग करके रेल द्वारा यात्रा करता है, तब सदस्य, प्ररूप ख II में यथा उपवर्णित रेल यात्रा प्ररूप, यात्रा के प्रारम्भ से पूर्व करेगा । इस प्रकार भरा गया प्ररूप, उस स्टेशन पर जहां वह रेल से उतरता है यात्रा की समाप्ति पर रेल टिकट संग्रह करने वाले कर्मचारीवृन्द को दिया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए एक पुस्तिका, जिसमें प्ररूप ख II की मणीम से संख्यांकित पच्चीस प्रतियां होंगी, प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी ।"

3. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ख में, दो स्थानों पर आए "और मैंने अपनी यात्रा तीसरी श्रेणी में एक व्यक्ति के साथ/किसी के साथ बगैर....., 19.....को आरम्भ की है ।" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "और मैंने अपनी यात्रा ....., 19.....को प्रारम्भ की है ।" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

4. उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप ख I के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप ख II"

(नियम 17 ख देखिए)

| सं० | सं० |
|---|---|
| लोक सभा सचिवालय / राज्य सभा सचिवालय | लोक सभा सचिवालय / राज्य सभा सचिवालय |
| संसद् सदस्य के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति के उपयोग के लिए रेल यात्रा प्ररूप । | संसद् सदस्य के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति के उपयोग के लिए रेल यात्रा प्ररूप । |
| (पुस्तक पर्ण) | पूर्ण (यात्रा की समाप्ति पर रेलवे को दिया जाए ।) |
| प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... ने, जो मेरे साथ है तीसरी श्रेणी में..... (स्टेशन) से...(स्टेशन) तक, वाया... यात्रा की है जिसने.....19.... को यात्रा प्रारम्भ की है । | प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... ने, जो मेरे साथ है तीसरी श्रेणी में..... (स्टेशन) से....(स्टेशन) तक वाया... यात्रा की है जिसने.....19.... को यात्रा प्रारम्भ की है । |

मेरा अभिज्ञान पत्र एवं रेल-पास सं....है
डिवीजन सं..... सदस्य, लोक सभा
राज्य सभा

(सदस्य द्वारा अपने पास रखा जाए और उपयोग के पश्चात् लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय को वापस किया जाए) ।

मेरा अभिज्ञान पत्र एवं रेल-पास सं०....है ।
डिवीजन सं०.....सदस्य, लोक सभा
राज्य सभा

(यात्रा की समाप्ति पर रेल टिकट-संग्रह करने वाले कर्मचारीवृन्द को दिया जाए) ।

[सं० फा० 3/1/एम०/एस० ए/71]

एस० एल० शकधर, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW LELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971